

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4858-PN, NAGINA COLLEGE OF PHARMACY, JOKHARA, LALGHAT, SAGRI, AZAMGARH

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असाफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दाद दायर किया जाता है तथा दायर दाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की कर्नी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

ए०सी०- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

तिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, P.N. NAGINA COLLEGE OF PHARMACY, JOKHARA, LALGHAT, SAGRI,
ZAMGARH


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कार्यालय और इण्डियन न्यू दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थियों को प्रत्येक तकनीकी विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-3 में विद्यार्थियों इन कर्मचारी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श का निम्नानु निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कर्मचारी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें संधावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु नियुक्ति वाली के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधिकृत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4488	एच. एल.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ कर्मचारी, जलपाटा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	डिप्लोमा इन कर्मचारी	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था राजपट्टे/पीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा नियुक्ति की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एका 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982 संशोधन विनियमावली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए इन्होंने पर्याप्तता हेतु रु. 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए कर्मचारी पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों (एच. एल.एस. कर्मचारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से उठाए किये जायेंगे। उत्तरांचल के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क की उभयपक्ष में सत्र-सत्र या

- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંજ્ઞા' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'વર્ણન' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'અભિપ્રાય' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'કલ્પના' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'દાવ્ય' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંકેત' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સૂચના' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંબંધ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.
- ✓ ઓછામાં ઓછા બે વાક્યો લખો જેમાં 'સંપૂર્ણ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવો.

જાણકારી માટે કૃપા કરીને સંપર્ક કરવો. / આ દસ્તાવેજની પ્રામાણિકતા અંગે જવાબદારી રાખવી.

આદર્શ શિક્ષક
વ્યાજના આધારે
/

Principals
College of Pharmacy
Jethva Highway, Gandhinagar